HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11496/2026
CNR: RJHC020687482026 | URN: CRLMB / 21212U / 2026

Chhotilal S/o Shri Narayanlal, Aged About 47 Years, R/o Lilo Ki Dhani, Jaisinghpura Road, Bhakrota, Jaipur, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohd. Adil
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP Mr. Amit Jindal

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

14/09/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना मानसरोवर, जिला–जयपुर शहर दक्षिण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 490/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि विवादित सम्पत्ति का विक्रयपत्र दिनांक 23.01.2023 को परिवादी के पक्ष में पंजीकृत हो चुका था और इसके लगभग ढाई साल बाद दिनांक 13.06.2025 को यह प्रथम सूचना रिपोर्ट मिथ्या तथ्यों के आधार पर दर्ज करवाई गई है। उनका तर्क है कि परिवादी स्वयं एक अधिवक्ता है, जिसने सम्पूर्ण कागजात यथा जमाबंदी और पूर्व की रजिस्ट्री आदि देखकर ही यह रजिस्ट्री करवाई थी। उनका तर्क है कि परिवादी का कहीं भी यह आक्षेप नहीं रहा है कि तथाकथित विक्रयपत्र का प्रारूप (draft) प्रार्थी ने बनवाया हो या नक्शा प्रार्थी ही बनवाकर लाया हो। उनका तर्क है कि जमीन का विक्रेता हंसराज महलावत है,

जिसने सम्पूर्ण राशि प्राप्त की है। प्रार्थी तो केवल रजिस्ट्री में गवाह मात्र था। उनका तर्क है कि एक अन्य गवाह–सहअभियुक्त धनपाल को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है। ऐसे में प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त धनपाल से भिन्न है। उनका तर्क है कि प्रार्थी ने ही पैसे लेकर 4,00,000 रूपये की रसीद परिवादी को दी थी, जिसके संबंध में उससे अन्वेषण किया जाना है। उनका तर्क है कि बाद में जो विक्रय मूल्य की राशि 40,16,000 रूपये दी गई है, वह भी प्रार्थी को ही दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी से उक्त समस्त राशि की बरामदगी की जानी है। उनका तर्क है कि विक्रयपत्र में प्लॉट 200 फीट रोड पर होना अंकित किया गया है, न कि सेक्टर रोड में तथा नक्शा भी उसी अनुरूप दिया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी ने परिवादी के समक्ष तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया है। प्रार्थी से गहन अन्वेषण किया जाना है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त को विक्रयपत्र का साक्षी होना बताया गया है तथा अन्य साक्षी सहअभियुक्त धनपाल को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रकट किया है कि प्रार्थी–अभियुक्त अनुसंधान में भाग लेकर उसमें सहयोग करने के लिए तत्पर है। अतः मामले की प्रकृति व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 25.09.2026 तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले। अनुसंधान अधिकारी आवश्यक अनुसंधान कर आगामी सुनवाई तिथि पर केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

पत्रावली दिनांक 08.10.2026 को सूचीबद्ध की जावे, तब तक इस प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करें। प्रार्थी के दिनांक 25.09.2026 तक अनुसंधान

अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह अन्तरिम आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

58/VISHAL SHARMA